



49

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव घेलना केन्द्र, 10 अशोक भार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1525 / 05 / 76 / एक / 2013-14  
सेवा में,

दिनांक : 26 अगस्त 2013

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-कासगंज।विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूबा द्वारा छूटा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। dkl xat  
महोदय,अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा  
मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु  
निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:- (धनराशि लाख रु0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	अभिकरण पर रोकी गई सेन्टर वर्ड की धनराशि	अवमुक्त धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	कासगंज	न0पा0प0 सोरो	विजयवीर से शहबुद्दीन, महेन्द्र सभासद से मोरमुकुट भगवान से ज्ञान सिंह तक पेवर ब्रिक नाली का निर्माण	18.380	2.010	16.370	
2	कासगंज	न0पं0 विलराम	वार्ड नं0-10 अशोक कुमार धोबी के मकान से श्यामलाल भगवान दास से चकी एवं मिली गली राकेश, चोब सिंह, भूष सिंह इश्खरी प्रसाद एवं तईयान तक व ओम प्रकाश से सियाराम, लालाराम से टीकाराम कल्लू से लालाराम गली, सुमेर सिंह गली जयपाल गीतम किशन कुमार बहादुर के घर तक नाली निर्माण का कार्य।	16.030	1.780	14.250	CENTRAL BANK OF INDIA. A/C NO- 3098425598 IFC CODE- CBIN0280250
3	कासगंज	न0पं0 अगापुर	वार्ड नं-1, अम्बेडकर नगर में कुठरी देवी राष्ट्रीय शिशु सदन से कासगंज रोड तक पेवर रोड तक नाली निर्माण का कार्य।	14.535	1.620	12.915	
4	कासगंज	न0पं0 मोहनपुर	सिद्धपुरा रोड से राम सिंह वार्ड नं0-1 व 2 नूर मोहम्मद से तालेवर वार्ड-05 चिकान में पेवर रोड व नाली निर्माण का कार्य।	3.460	0.380	3.080	
5	कासगंज	न0पं0 भरगैन	राधे हाबूडा के मकान से प्यारो बानों तक वार्ड नं0-1 में पेवर रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	15.705	1.750	13.955	
6	कासगंज	न0पं0 पटयाली	अलोखे बाल्मीकि की दुकान से राजवीर के मकान वार्ड नं0-1 व 9 में पेवर रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.700	0.410	3.290	
योग				71.81	7.95	63.86	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



दूरभाष— 2286709  
2286710  
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1— उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 4— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 5— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 6— उक्त धनराशि ढूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 7— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टरज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।
3. अधिकारी अधिकारी—सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल सिंह) वित्त नियन्त्रक  
(लाल प्रितप सिंह) वित्त नियन्त्रक